प्रेस नोटः–
कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक– 29.09.2019

पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए **290 भादवि में 90 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–03 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

गोण्डा। वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने विशेष अभियान के तहत जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 28.09.2019 को जनपद के थानों ने 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 140 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

01. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. संतोष कुमार पुत्र समयदीन नि0 चूड़ामारी देवरिया थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0– 748/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. शिवराम पुत्र राजाराम नि0 वैश्य पुरवा मौजा डेवरी कला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब मय उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0– 346/19, धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. कृष्ण कुमार यादव पुत्र तिलक राम नि0 दुर्गागंज माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0– 372/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 02. राम विलास माली पुत्र ओरी लाल नि0 मो0 कच्चा घाट थाना को0 अयोध्या जनपद अयोध्या के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0– 373/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 03. पप्पू मिस्त्री पुत्र सोमई कोरी नि0 वेगमपुर थाना को0 अयोध्या जनपद अयोध्या के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0– 374/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

नाजायज चाकू के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत 01. थाना को0 नगर से अभियुक्त सलमान पुत्र अब्दुल्ला नि0 मकान नं0 278 मेवतियान थाना को0 नगर गोण्डा के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर मु0अ0सं0–749/19, धारा–4/25 आर्म्स एक्ट व 02. थाना परसपुर से अभियुक्त शिवा चौहान पुत्र शंकर चौहान नि0 दुबाई डीहा थाना परसपुर गोण्डा के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर मु0अ0सं0–257/19, धारा–4/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय किया गया।

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या की आरोपिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या की आरोपी अभियुक्ता– श्रीमती सीता पत्नी रमेश कोरी नि0 डल्लापुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को थाना वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–267/19 धारा 498ए,304बी भादवि0 व 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

उक्त अभियुक्ता सहित दो अन्य पर वादी श्री जंगलपूरी पुत्र बरसातीपूरी निवासी अकबरपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा ने अपनी की पुत्री राना की दहेज की मांग को लेकर मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 04.07.2019 थाना वजीरगंज पर अभियोग पंजीकृत कराया था जिसमे उक्त अभियुक्ता को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा कल दिनांक 28.09.2019 मुखबिर की सुचना पर ग्राम डल्लापुर के उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल–11 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।